कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव।

संख्याः 418 / लोकवाणी / बैठक / 2013 दिनांकः 18 दिसम्बर, 2013

समस्त केन्द्र संचालक
सहज जन सुविधा केन्द्र / लोकवाणी केन्द्र,
उन्नाव।

एस0एस0डी0जी0 की दिनांकः 06.12.2013 को हुयी बैठक में निम्न लिखित निर्देश दिये गये :–

1. केन्द्र संचालक प्रत्येक आवेदक के लिये आवेदकों से निर्धारित शुल्क ही लेंगें।
2. केन्द्र का कभी भी औचक निरीक्षण कराया जा सकता है। यदि किसी भी केन्द्र पर निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली का कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कड़ी / कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
3. समस्त केन्द्र संचालक आवेदन पत्र के साथ आवेदक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की आई0डी0 / पहचान पत्र संलग्न न करें।
4. केन्द्र संचालक आवेदन कर्ताओं से आवेदन पत्र के साथ लगने वाले आवश्यक अभिलेखों को भी प्राप्त करेंगें तथा उसे सुरक्षित रखेंगें।
5. आवेदन पत्र के साथ लगने वाले संलग्नकों का भलि–भांति परीक्षण करने के उपरान्त ही स्कैन करें तथा समस्त अभिलेखों का स्कैन करें।
6. समस्त केन्द्र संचालक अपने–अपने Login-Password बदल लें, ताकि उसका कोई अन्य व्यक्ति दुरूपयोग न कर सके।
7. एस0एस0डी0जी0 योजनान्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं हेतु लिये जाने वाले शपथपत्र के विकल्प स्वरूप स्वघोषित प्रमाणपत्र आवेदक से लेना सुनिश्चित करते हुये इस सेवा को सुविधापरक बना दिया जाये। स्वघोषित (Selfdecleared) का नमूना पृथक से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि सम्पूर्ण जनपद में एकरूपता स्थापित रहे। आवेदक स्वघोषित प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट जानकारी देगा तथा अपने नाम व पता सहित हस्ताक्षर करेगा।
8. केन्द्र संचालक प्राप्त प्रार्थनापत्र में आवेदक का मोबाईल नं0 आवश्य लें।
9. केन्द्र संचालक जब आवेदक का आवेदन पत्र अपलोड करते हैं, तो उस आवेदन पत्र के समस्त संलग्नकों को स्कैन नहीं कर रहे हैं, संलग्नक स्कैन न होने के कारण आवेदन पत्र अनिस्तारित रह जाते हैं। इनको निस्तारित करने हेतु सम्बन्धित विभाग का आपरेटर उन आवेदन पत्रों को रिवर्ट करते है, लेकिन केन्द्र संचालक ऐसे रिवर्ट आवेदन पत्रों को तत्काल पूर्ण करके वापस नहीं भेज रहे हैं। फलस्वरूप ऐसे आवेदन पत्र अनिस्तारित रहकर लम्बित रहते हैं। इस लिये समस्त केन्द्र संचालक ऐसे समस्त रिवर्ट किये गये आवेदन पत्र को तत्काल पूर्ण करके पुनः वापस भेजना सुनिश्चित करें।

10. मुख्यालयों/तहसीलों के अधिकारियों व लेखपालों व रजिस्ट्रार कानूनगों के मोबाईल नम्बर, ई–मेल आदि संकलित रखें, ताकि प्रार्थनापत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
11. समस्त केन्द्र संचालक अपने केन्द्र के बाहर दृश्य जगह पर बोर्ड तथा वॉल पेंटिंग आदि कराकर उसमें एस0एस0डी0जी0 के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं का उल्लेख करेंगें।
12. बोर्ड तथा वॉल पेंटिंग आदि पर प्रत्येक आवेदन के लिये निर्धारित शुल्क, केन्द्र संचालक व ऑपरेटर का पूरा नाम व पता सहित मोबाईल नंबर, कलेक्ट्रेट स्थित जन सुविधा केन्द्र का नम्बर (0515–2821222), आपातकालीन सेवाओं के नम्बर यथा पुलिस सहायता(100), अग्निशमन(101), एम्बुलेंस(108) आदि तथा जनपदस्तरीय अधिकारियों के दूरभाष नम्बर भी लिखेंगें।
13. एस0एस0डी0जी0 योजनान्तर्गत प्रार्थनापत्रों के निस्तारण के लिये समस्त केन्द्र संचालक प्रार्थनापत्रों की समयावधि पूरे होने से पहले लम्बित प्रकरणों की एक सूची तैयार करके उनके निस्तारण में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिये सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क कर उनके निस्तारण कराने हेतु प्रयासरत रहें तथा उनके संज्ञान में लायें।
14. एस0एस0डी0जी0 पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रार्थनापत्र तुरन्त/उसी दिन सम्बन्धित विभाग की वेबसाइट पर प्रेषित/सेन्ड करें।
15. सबसे महत्वूपर्ण निर्देश सभी लोकवाणी केन्द्र संचालक जिन्होंने 01 अप्रैल, 2013 से 31 अगस्त, 2013 तक के प्रार्थनपत्रों का भुगतान नहीं किया है, वे दिनांकः 14.12.2013 तक प्रत्येक दशा में उक्त अवधि का भुगतान एस0बी0आई0 उन्नाव के खाता संख्याः 32953642391 में जमा कर उसकी रसीद लोकवाणी कार्यालय में जमा कर दें। अन्यथा उनकी लॉगिन आई0डी0 बन्द कर दी जायेगी तथा लोकवाणी निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी,उन्नाव।